प्रपत्र – 5

यालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, बाड़मेर

(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/कैम्प कोर्ट महावार) प्राथमिक डिक्री

पीठासन अधिकारी श्री हिम्मताराम मेहरा (आर.ए.एस.)

A 7/1

अनवान

वादी	बनाम	प्रतिवादीगण
भंवरकंवर पत्नी स्व. बसंतसिंह पुत्र सांवसिंह जाति राजपूत निवासी महाबार पीथल तहसील व जिला बाड़मेर		1 वीरमसिंह पुत्र सांवतसिंह निवासी महाबार 2 सीरेकंवर पत्नी पर्वतसिंह निवासी उण्डखा 3 लहरो पत्नी बींजराजसिंह निवासी भोजारिया तहसील चौहटन 4 अन्तरा पत्नी हीरसिंह निवासी वरना (खुडी) जैसलमेर 5 धापू पत्नी कलसिंह निवासी घोनिया तहसील चौहटन 6 तनसिंह पुत्र राणसिंह 7 मनोहरसिंह पुत्र राणसिंह जाति राजपूत निवासी भोजारिया तहसील चौहटन 8 तहसीलदार बाड़मेर।

दावा बाबत् 88,188,53 रा.का.अ.
मुकदमा नम्बर :– 24/2009
निर्णय दिनांक :– 14.06.2016

वादीनी उपस्थित तथा प्रतिवादीगण अनुपस्थित इस वाद में आज तारीख 14.06.2016 को श्री हिम्मताराम मेहरा, उपखण्ड अधिकारी बाडमेर के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और प्राथमिक डिक्री दी जाती है कि मौजा महाबार तहसील बाडमेर के खसरा संख्या 53 रकबा 0.07 बीघा तथा खसरा संख्या 2124/54 रकबा 80.00 बीघा (वर्तमान जमाबन्दी अनुसार) में 1/7 हिस्सा वादीनी का तथा 1/7 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 06 व 07 का संयुक्त रूप से घोषित किया जाता है। शेष हिस्सा बदस्तुर रहेगा। तहसीलदार बाडमेर को मौके पर कब्जा काश्त अनुसार भूमि का विभाजन कर प्रस्ताव तैयार करने तथा लगान का निर्धारण करने हेतु मौका कमीश्नर नियुक्त किया जाता है। कमीश्नर शुल्क रूपये 1000/– निर्धारित की जाती है। जो वादीनी द्वारा अदा की जायेगी। विभाजन प्रस्ताव 01 माह में उपलब्ध करावें। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेंगे।

यह आज तारीख 14.06.2016 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

सहायक कलक्टर (S D O) बाड़मेर

(हिम्मताराम मेहरा)
पीठासन अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन
सहायक कलक्टर, बाडमेर

वाद के खर्चे

वादी		प्रतिवादी	
	रूपया		रूपया
1. वाद पत्र के लिए स्टाम्प 2. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प 3. प्रदर्शो के लिए स्टाम्प 4. .... रूपये पर प्लीडर की फीस 5. साक्षियों के लिए निर्वाह–व्यय 6. कमिश्नर की फीस 7. आदेशिका की तामिल		शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प अर्जी के लिए स्टाम्प प्लीडर की फीस साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय आदेशिका की तामील कमिश्नर की फीस	
जोड़		जोड़	

Scanned with CamScanner

प्रपत्र – 5

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, बाड़मेर

पीठासन अधिकारी श्री नीरज मिश्र (आर.ए.एस.) अन्तिम डिक्री

अनवान

वादी

1. भंवरकंवर पत्नी स्व. बसंतसिंह पुत्र सांवसिंह जाति राजपूत निवासी महाबार पीथल तहसील व जिला बाडमेर

बनाम

प्रतिवादीगण

1 वीरमसिंह पुत्र सांवतसिंह निवासी महाबार 2 सीरेकंवर पत्नी पर्वतसिंह निवासी उण्डखा 3 लहरो पत्नी बींजराजसिंह निवासी भोजारिया तहसील चौहटन 4 अन्तरा पत्नी हीरसिंह निवासी वरना (खुडी) जैसलमेर 5 धापू पत्नी कलसिंह निवासी घोनिया तहसील चौहटन 6 मनोहरसिंह उर्फ मूलसिंह पुत्र राणसिंह जाति राजपूत निवासी भोजारिया तहसील चौहटन 7 तहसीलदार बाडमेर।

दावा बाबत् 88 रा.का.अ.
मुकदमा नम्बर :– 24 / 2009
निर्णय दिनांक :– 06/02/20

वकील वादीगण एवं वकील प्रतिवादी संख्या 06 की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 06/02/20 को श्री नीरज मिश्र, सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) बाडमेर के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और अन्तिम डिकरी निम्नप्रकार दी जाती है कि :–

वादीनी का वाद माफिक प्राथमिक डिकरी स्वीकार किया जाकर मौजा महाबार तहसील बाडमेर के खसरा संख्या 53 रकबा 0.07 बीघा तथा खसरा संख्या 2124 / 54 रकबा 80.00 बीघा (वर्तमान जमाबन्दी अनुसार) में प्रतिवादी वीरमसिंह पुत्र सांवलसिंह के साथ वादीनी एवं प्रतिवादी संख्या 06 को सहखातेदार घोषित करते हुए वादीनी एवं प्रतिवादी संख्या 06 प्रत्येक का 1/7–1/7 हिस्सा घोषित किया जाता है। तहसीलदार बाडमेर तदनुसारा राजस्व अभिलेख में अंकन करें। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करे।

यह आज तारीख 06/02/20 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

(नीरज मिश्र)
पीठासन अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन
सहायक कलक्टर, बाडमेर

वाद के खर्चे

वादी	रूपया	प्रतिवादी	रूपया
1 वाद पत्र के लिए स्टाम्प		शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	
2 शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प		अर्जी के लिए स्टाम्पस	
3 प्रदर्शो के लिए स्टाम्प		प्लीडर की फीस	
4 .... रूपये पर प्लीडर की फीस		साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय	
5 साक्षियों के लिए निर्वाह–व्यय		आदेशिका की तामील	
6 कमिश्नर की फीस		कमिश्नर की फीस	
7 आदेशिका की तामिल			
जोड़		जोड़	

Scanned with CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Neeraj Mishra
Date: 2020.06.24 14:26:29 IST
Reason: SelfAttested
Location: